

दि. 12.1.2018

श. 11/18

वकुलाए फारिकेन उपपण बहस सुनी गई। पचावली चार्ज निर्णय दिनांक 21/1/18 को पेश हो (6)

प. 11/18

वकुलाए फारिकेन उपरिचयत पचावली का अवलोकन किया गया। पिहवान अभिभाषण जारी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि चार चारी मुताबिक तजबीज तकसीम रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 21/1/16 अन्तिम डिजी फारमाया जावे। तजबीज तकसीम रिपोर्ट पर किसी को एतराज नहीं है। सब चार चारी मुताबिक तजबीज तकसीम रिपोर्ट तहसीलदार (राजलुगुनुमाग) अन्तिम डिजी किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि चारगस्त नमि चक नं 19K.S.P. के खाता सं 48141 की 899 है चक नं 20K.S.P. के खाता सं 85180 की 2290 है व चक नं 1AW.S.M. की 4236 है भूमि में से चारी सं 1 मडीपाल वल्द लिखमा कोम कुम्हार साकिन किशनपुरा के पास चक नं 19K.S.P. के पं नं 122/324 (53) कि नं $\frac{13}{253}, \frac{17}{228}, \frac{20}{253}, \frac{21}{076}$ कुल 810 है नहरी चक नं 1AW.S.M. के पं नं 134/334 (16) कि नं $\frac{112}{203}, \frac{2}{228}, \frac{3}{228}, \frac{4}{127}$ 7 $\frac{8}{025}$ (लाहा) $\frac{9}{025}$ (खाला) $\frac{1011}{025}$ (खाला) $\frac{1011}{228}$ कुल 1759 है नहरी मय खाला कुल 2569 है कुल भूमि मय खाला रहेगी।

प्रतिवारी सं 1 बडीराम वल्द लिखमा कोम कुम्हार साकिन किशनपुरा के पास चक नं 19K.S.P. के पं नं 122/334 (53) कि नं $\frac{18}{889}$ चक नं 20K.S.P. के पं नं 122/324 (12) कि नं $\frac{17}{089}, \frac{24}{253}$ पं नं 122/325 (15)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी

अज अदालत उपखण्डाधिकारी (२) मुकाम हनुमानगढ

मन्त्रीपाल बनाम चड्डीशम झाडि

किशम मुकदमा 53 R.P. Act नं. 155 सन् 05

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम में जारी
	<p>किष्का 4/2, 5, 6 पं नं 177, 228, 225 खाला 228, 225 खाला</p>	
	<p>123/325 (16) किष्का नं 10, 11, 12, 19, 20 कुल 1:265</p>	
	<p>१.२७० हेक्टर नहरी मय खाला रहेगी। इन्फ्रिक्चर दोबो चको की २.३७७ हेक्टर कृषि भूमि मय खाला रहेगी।</p>	
	<p>प्रतिवारी संख्या ५ मेरू पति रामकिशन रूपेन्द्र मुकेश पिपरामकिशन चण्डि ब. चौम कुम्हार साकिन किशनपुरा दिखनारा की चक नं 1 A.W.S.M. चक पं नं 134/334 (16) किष्का नं 5</p>	
	<p>5, 6, 7, 11, 12, 14, 15 खाला 228, 225 खाला 102, 228, 12ता 14, 759</p>	
	<p>16, 17 कुल १.५६७ हेक्टर कृषि भूमि मय खाला रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में खाता व लेगान अलग-२ कायम किया जावे।</p>	
	<p>चादाइ १००/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल जाइल करवाया जावे। पर्य डिडी जारी कर सलपन की जावे। व्यय वाड उभयपक्ष वारी। प्रतिवारीगण संवय आपना २ घहनकोशी पत्रावली नम्बर संकाम की जाकर वाड तारतीव तकमील जावता तारिख दफ्तर से।</p>	
	<p>आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।</p>	

साहाय...
...
...